

51235 50125
 2 2 2 2 2
 f 3 2 1 2 3 4 5 f
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[illegible]

Handwritten: 'Nick 12-18'
'12-18' 12-18

19132 - 50000
10000 10000 10000
10000 10000 10000
10000 10000 10000



कायलिय-प्रमानीय वनाधिकारी, मसूदी वन प्रभाग, मसूदी।
पत्रांक 4023 / 12-1, दिनांक, मसूदी, 01-04-2017।

सेवा में,

अधिराशी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद-देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़क एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा-चिखोली मुख्य मार्ग के किमी 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अधिलेखित 0.8890 है 0 वन भूमि का और वानिकी कार्या हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का डी 0410एस 10 दिनांक 20 मार्च, 2017 एवं आपका पत्रांक 1400 / ग्रा 10 दि 10 / कार्य-टीन / 2016-17, दिनांक 28-03-2017।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में विषयान्वित ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित दाय (एन 0410बी 10) धनराशि का संशोधित विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र 0410	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (है 0 मी)	दर	देय धनराशि (रु 00 मी)
1.	एन 0410बी 10	0.889 है 0	6,57,000.00	5,84,073=00
योग :-				5,84,073=00

अतः अनुरोध है कि उपरानुसार आनलाइन बालन जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त सं 0 1 व 2 तथा अन्य शर्तों की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित आनलाइन कर ग्राहक कार्यावाही करने की कृपा करें।

संलग्न - उपरानुसार।

भवदीय

(डि 0 साकत बडाला भा.व.से.)
प्रमानीय वनाधिकारी,
मसूदी वन प्रभाग, मसूदी।

पत्रांक / () तददिनांक।

प्रतिनिधि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में एन 0410बी 10 की धनराशि के संशोधित प्रमाण-पत्र की प्रति सादर प्रेषित।

(डि 0 साकत बडाला भा.व.से.)
प्रमानीय वनाधिकारी,
मसूदी वन प्रभाग, मसूदी।

परियोजना का नाम: जनपद-देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण

सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा-रिखोली मुख्य मार्ग के किमी 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है 0 वन भूमि का गैर वास्तविकी कार्या हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव ।

एनपीवी की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

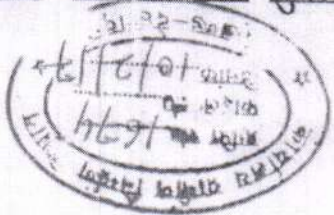
"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन भूमि- 0.889 है 0 तथा स्थित सोयम वन भूमि-0.00 है 0 कुल 0.889 है 0) मा 0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है" ।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र का घनत्व 0.3 है । जिस हेतु एनपीवी 0 की प्रति हैक्टर दर रु 6,57,000=00(रु 0 छः लाख सत्तावन हजार) मात्र है । उक्त दर के अनुसार एनपीवी 0 धनराशि का आगणन रु 5,84,073=00(रु 0 पाँच लाख बीस हज़ार लिहत्तर मात्र) किया गया है । जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा ।

सहसपुर, जनपद, देहरादून

प्रमाणित करनेवाला

कायालय-प्रमाणित वनाधिकारी, मसूदा वन प्रभाग, मसूदा।
पत्रांक 3343/12-1, दिनांक, मसूदा, 30-01-2017।



11-11/11-11
11-11/11-11

सेवा में

विषय :-

अधिकांशी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
मुख्य, देहरादून।
जनपद-देहरादून के विकास खाते में ग्रामीण सड़क एवं ड्रेनेज विभाग के अंतर्गत नौ
दोम-रिहाती, मुख्य मार्ग के किमी 16 से नारायण सिंह के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु
अधीन 0.8890 हे० वन भूमि का गैर वाणिज्यी कार्या हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, मुख्या देहरादून
को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्वतारुण अनुभाग-4 की पत्र सं० 1179/
X-4-16/01(286)/2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 एवं अपर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल
अधिकारी, वन संरक्षण, इन्टरनल कार्टर कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक
1779/FP/LK/ROAD/19607/2016 दिनांक 07 जनवरी, 2017।

महोदय,

भारत सरकार, पर्वतारुण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-एफओ-10-11-09/98-एफओसी०, दिनांक
13 फरवरी, 2014 एवं दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए
अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, की पत्र सं० 1179/X-4-16/01(286)/2016, वन एवं पर्वतारुण अनुभाग-4,
दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं अपर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के उक्त
सम्बन्धित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विषयांकित ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन के
कालखण्ड प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निम्नलिखित हेतु ग्रामीण सड़क एवं ड्रेनेज निर्माण प्रकार है:-

क्र.सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल(हे० मी)	दर	द्वय धनराशि (रु०)
1.	प्रस्तावित (मोटर मार्ग के दोनों ओर) खेत के आस-पास बिना पड़े स्थानों पर स्थित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव।	1.270 किमी० (2.00 हे०)	345312.00 प्रति किमी०	438546=00
2.	एन०पी०बी०	0.889 हे०	8,45,000.00	751205=00
योग :-				11,89,751.00

अतः अनुरोध है कि उपरानुसार आनलाइन बालान जनरेट कर द्वय धनराशियों के भुगतान हेतु
सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं० 1 व 2 तथा अन्य शर्तों की अनुपालन आख्या मय संलग्नकी सहित आनलाइन कर
वाचित कायदाही करने की कृपा करें।

(प्रमाणित वनाधिकारी,
प्रमाणित वनाधिकारी,
मसूदा वन प्रभाग, मसूदा।

पत्रांक 3343/12-1 ()
वदितनांकित।

प्रतिनिधि :- अपर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्टरनल कार्टर
कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त सम्बन्धित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में सादर प्रेषित।

(प्रमाणित वनाधिकारी,
प्रमाणित वनाधिकारी,
मसूदा वन प्रभाग, मसूदा।